राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
ई–मेलः we.wshgi@gmail.com

क्रमांक एफ 13 (1)( )निमअ / SHG / प्रियदर्शिनी SHG / पुरस्कार–पार्ट–II / 09–10 26–58 जयपुर, दिनांक 1/1/18

सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता,
जिला –समस्त

विषय–अमृता SHG पुरस्कार वर्ष 2017–18 के क्रम में।

जैसा कि आपको विदित है, राज्य सरकार की बजट घोषणा 2009–10 की निरंतरता के क्रम में प्रियदर्शिनी SHG योजना वर्ष 2017–18 के द्वितीय भाग की क्रियान्विति हेतु राज्य स्तर पर एक सर्वश्रेष्ठ महिला स्वयं सहायता समूह तथा SHG के क्षेत्र में कार्यरत एक सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी संस्था को क्रमशः 50000 रू एवं 20000 रू के अमृता SHG पुरस्कार दिये जाने हैं।

वर्ष 2017–18 के पुरस्कार हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई गई है। इन पुरस्कारों हेतु आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं अन्य शर्तो का विवरण पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। कार्यालय में संपर्क किए जाने पर उक्त पुरस्कारों हेतु इच्छुक विभाग / ऐजेंसी / NGOs/ SHGs को यह जानकारी उपलब्ध कराई जाये। इस के अतिरिक्त जिस प्रपत्र में पूर्ण व स्पष्ट विवरण भरकर जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा की जानी है उस प्रपत्र का प्रारूप एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित समिति संबंधी पत्र की प्रति भी पत्र के साथ संलग्न की गई है।

साथ ही लेख है कि अमृता SHG पुरस्कार योजना हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर आपके जिले में प्राप्त प्रस्तावों में से एक सर्वश्रेष्ठ SHG एवं SHG कार्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एक सर्वश्रेष्ठ NGO के प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से निर्धारित प्रपत्र में अनुशंषित करवाकर निदेशालय भिजवाया जाना है। उक्त पुरस्कारों हेतु इच्छुकों के लिए जिले में आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 25.01.2018 को सांय 6:00 बजे तक रखी गई है। अतः आप दिनांक 26.01.2018 से 05.02.2018 तक प्रस्तावों का अध्ययन कर आवश्यक तैयारी कर जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन करवाया जाना तथा बैठक में लिए गए निर्णयानुरूप चयनित SHG व संस्था का विवरण निर्धारित प्रपत्र में सभी कॉलम को भरते हुए अनुशंषा सहित भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा दिनांक 10.02.2017 का सांय 6.00 से पूर्व ई–मेल से एवं कार्यालय के किसी कार्मिक के साथ व्यक्तिशः निदेशालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि जिला स्तर से अनुशंषित आवेदनों में से एक सर्वश्रेष्ठ एस.एच.जी व एक सर्वश्रेष्ठ एन.जी.ओ. का चयन राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जाकर किया जा सके व अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपरोक्त पुरस्कारों का वितरण किया जा सके। **दिनांक 10.02.2018 को सांय 6.00 बजे तक उपरोक्त सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आपके जिले से कोई अनुशंषित प्रस्ताव नहीं है।**

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(निशा मीना)
अतिरिक्त निदेशक (SHG)
महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ 13 (1)( )निमअ / SHG / प्रियदर्शिनी / अ.SHG/ 09–10 59–125 जयपुर, दिनांक 1/1/18

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सहायक, जिला कलक्टर, समस्त।
2. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
3. प्रोग्रामर, म0अ0 को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

03/1/18

अतिरिक्त निदेशक (SHG)

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

<u>अमृता SHG पुरस्कार योजना 2017–18</u>

प्रियदर्शिनी आदर्श SHG योजनांतर्गत राज्य स्तर पर एक सर्वश्रेष्ठ महिला स्वयं सहायता समूह को तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले एक सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी संगठन को क्रमशः 50000 रू तथा 20000 रू अमृता SHG पुरस्कार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मार्च, 2018 में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के दौरान दिये जाने प्रस्तावित है।

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना अन्तर्गत अमृता एस.एच.जी. पुरस्कार प्रदान करने हेतु चयन, पात्रता एवं प्रक्रिया पूर्व की भांति निम्नानुसार हैः–

पुरस्कार की राशि :–

क्र0सं0	स्तर	राशि
1.	राज्य स्तर, SHG	50,000
2.	राज्य स्तर, NGO	20,000

प्रक्रियाः–

उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम में संलग्न विभिन्न विभागों/ऐजेंसीज/NGOs से प्रस्ताव मांगे जाने हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विभाग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई है तथा ऐसे समस्त विभाग/ऐजेंसीज अपने जिला कार्यालय/संस्था प्रधानों से अनुशंषित प्रस्ताव संबंधित जिले के सहायक निदेशक, म.अ. को नियत तिथि तक प्रस्तुत कर सकेंगे।

तत्पश्चात् जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जाकर योग्य पाये गये प्रस्तावों को नियत तिथि तक निर्धारित प्रारूप में व समिति की अनुशंषा सहित निदेशालय भिजवाया जाएगा।

जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषित होकर निदेशालय को प्राप्त समूहों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के विवरणों का राज्य स्तरीय समिति द्वारा नियत तिथि तक परीक्षण किया जाकर एक सर्वश्रेष्ठ महिला स्वयं सहायता समूह एवं एक सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी संस्था का अमृता SHG पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा।

अमृता SHG पुरस्कार योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु जिलों से अनुशंषित किये जाने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए पात्रता निम्नांकितानुसार रखी जाती है।*

1. ऐसे समूह जिनकी साप्ताहिक बैठक नियमित रूप से होती हो।
2. ऐसे समूह जिनके रिकार्ड का संधारण नियमानुसार एवं नियमित रूप से हो रहा हो।
3. ऐसे समूह जिनके द्वारा नियमित रूप से बचत की जा रही हो।
4. समूह नियमित रूप से आंतरिक लेन–देन कर रहा हो।
5. ऐसे समूह जिन्होंने न्यूनतम तीन बार ऋण लिया हो।
6. ऐसे समूह जिन्होंने अपने ऋण का 100 प्रतिशत समयबद्व पुनर्भुगतान कर दिया हो।
7. ऐसे समूह जिनके न्यूनतम 60 प्रतिशत सदस्य आयजनक गतिविधि में संलग्न हो कर **प्रतिमाह न्यूनतम 3100 रू0 कमा रहे हो।**
8. ऐसे समूह जिनके प्रत्येक सदस्य के घर में निजी शौचालय हो एवं उपयोग में लिया जा रहा हो।
9. ऐसे समूह जिनके सदस्यों के सभी बच्चे स्कूल जाते हो।
10. ऐसे समूह जिन्होंने ग्राम की स्थानीय समस्याएं यथा पानी, बिजली, सड़क आदि के निराकरण में सहयोग किया हो।
11. ऐसे समूह जिन्होंने बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कुरीतियों यथा बाल विवाह रोकथाम, देहज प्रथा उन्मूलन, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम आदि गतिविधियों में सक्रियता से कार्य किया हो।

* सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा जिला स्तर पर उपरोक्त तथ्यों की जांच की जाकर निर्धारित प्रारूप में चाही गई सूचना को पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा सहित निदेशालय भिजवाया जाएगा।

अमृता **SHG** पुरस्कार योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु जिलों से अनुशंषित किये जाने वाले **NGO** के प्रस्ताव निम्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए भिजवाये जाएंगेः–*

1. ऐसे **NGO** जो गत तीन वर्षो से विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हो।
2. ऐसे **NGO** द्वारा गत तीन वर्षो में न्यूनतम 750 महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज करा दिया हो।
3. ऐसे **NGO** जिनके द्वारा गत तीन वर्षो में 500 महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न स्वरोजगार गतिविधि से जोड़ा जाकर, उनकी न्यनतम 60 प्रतिशत महिला सदस्यों को

लगातार हैडहोल्डिंग करते हुए **प्रतिमाह न्यनतम 3100 रू आय अर्जन की स्थिति में ले आया गया हो।**

4. ऐसे **NGO** जिनका वार्षिक टर्न ओवर गत 3 वर्षों में प्रतिवर्ष न्यूनतम राशि रू. 2 लाख या उससे अधिक हो।

* सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा जिला स्तर पर उपरोक्त तथ्यों की जांच की जाकर निर्धारित प्रारूप में चाही गई सूचना को पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा सहित निदेशालय भिजवाया जाएगा।

जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषित प्रस्ताव निम्नांकित प्रपत्र में ही सहायक निदेशक म. अ. संबंधित द्वारा कवरिंग लेटर में अनुशंषा सहित निदेशालय को भिजवाये जाएंगे–

स्वयं सहायता समूह हेतु पुरस्कार के लिए प्रपत्र

जिला.........................

नाम समूह	ग्राम / ब्लाक / जिला	समूह गठन दिनांक	समूह द्वारा एक वर्ष में आयोजित साप्ताहिक बैठकों की संख्या	क्या समूह द्वारा समस्त रिकार्ड का नियमित संधारण किया जा रहा है	समूह द्वारा की जा रही बचत की कुल राशि
1	2	3	4	5	6
समूह के बीच हो रहे आंतरिक लेन–देन की कुल राशि	समूह द्वारा प्राप्त ऋणों की संख्या एवं ऋणवार राशि	क्या ऋण का पूर्ण पुनर्भुगतान समय पर किया गया?	समूह की आयजनक गतिविधि का नाम	आयजनक गतिविधि में संलग्न समूहों के सदस्यों की संख्या	प्रत्येक सदस्य द्वारा अर्जित की जा रही मासिक आय न्यूनतम 3100 रू.
7	8	9	10	11	12
समूह के कितने सदस्यों के घर में निजी शौचालय है एवं उपयोग में लिया जा रहा है।	समूह के कितने सदस्यों के बच्चे स्कूल जाते हैं		पानी, बिजली, सडक आदि स्थानीय समस्याओं के निराकरण के संबंध में समूह द्वारा किया गया सहयोग	बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कुरीतियों यथा बाल विवाह रोकथाम, दहेज प्रथा उन्मूलन, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम आदि में समूह का योगदान	
13	14		15	16	

समिति सदस्यों के हस्ताक्षर

स्वयं सेवी संगठनों हेतु पुरस्कार के लिए प्रपत्र

जिला............................

<table>
<tr><td>स्वयंसेवी संस्था का नाम, पता व दूरभाष नंबर व रजिस्ट्रेशन मय वर्ष</td><td>संस्था का कार्यक्षेत्र</td><td>संस्था द्वारा गत 3 वर्षो में गठित किये गये कुल समूहों की संख्या</td><td>समूहों की वर्षवार संख्या जिन्हें संस्था द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षो में बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए गये</td><td>संस्था द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षो में आयजनक गतिविधि से जोडे गये समूहों की वर्षवार संख्या</td><td>संस्था द्वारा गठित ऐसे समूहों की संख्या, जिनकी न्यूनतक 60% महिला सदस्यो को संस्था द्वारा न्यूनतम 3100 रू प्रतिमाह आय अर्जन तक लाया गया हो</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="3">संस्था की गत तीन वर्ष की गतिविधियों का विवरण</td><td>संस्था की गत तीन वर्ष का टर्न ओवर (प्रतिवर्ष)</td><td colspan="2">संस्था द्वारा SHG क्लस्टर गठित किया गया है अथवा नहीं, यदि हा तो क्लस्टर की गतिविधियां</td></tr>
<tr><td colspan="3">7</td><td>8</td><td colspan="2">9</td></tr>
</table>

समिति सदस्यों के हस्ताक्षर